भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4307

उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2026 (बुधवार)

27 फाल्गुन, 1947 (शक)

प्रश्न

सकल बजटीय सहायता

†4307. **श्री तापिर गावः**

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के 10 प्रतिशत के उपयोग की निगरानी सरकार किस प्रकार कर रही है ताकि यह 1.14 लाख करोड़ रुपये के समर्पित निवेश लक्ष्य की पूर्ति को सुनिश्चित कर सके;

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में करों के हस्तांतरण में वृद्धि से छोटे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अपेक्षित प्रभाव क्या है; और

(ग) क्या फरवरी, 2026 तक उत्तर-पूर्व विकास सेतु डिजिटल पोर्टल के माध्यम से क्षेत्र में सभी केंद्रीय परियोजनाओं की शत प्रतिशत वास्तविक समय में निगरानी सफलतापूर्वक सुनिश्चित की जा चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) व्यय विभाग के दिनांक 5 मई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अधिदेश के अनुसार सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, केंद्रीय बजट के विवरण 11 में दर्शाए अनुसार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए निर्धारित 10% जीबीएस के उपयोग का आकलन करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं।

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कर अंतरण में बढ़ोतरी करने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इस बढ़ोतरी से राजकोषीय नियमन और सुदृढ़ हुआ है और व्यय की गुणवत्ता बेहतर हुई है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में सतत उन्नति और दीर्घकालीन राजकोषीय स्थायित्व बनाए रखने में मदद मिली है।

(ग) राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों से सभी परियोजना प्रस्ताव और निधि जारी किए जाने के अनुरोध पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीएस) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। पीवीएस पोर्टल के इस्तेमाल से परियोजना अनुमोदन, निगरानी और निधि जारी किए जाने की प्रक्रिया आसान हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य क्षमता और पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है।
